

प्रपत्र-एम० 8

अद्यतनीकरण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नामों को जोड़ने/ विलोपित करने/ शुद्ध करने के संबंध में आपत्तियाँ देने हेतु सूचना

जिला : प्रखंड : समिति :

1. प्राप्त आवेदन/ निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वतः विलोपित प्रविष्टियाँ

मतदाता की क्रम संख्या	मतदाता का नाम	पिता का नाम	विलोपन का कारण

2. वर्तमान प्रविष्टियों की शुद्धि हेतु प्राप्त आवेदन या निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वतः शुद्ध की गई प्रविष्टियाँ

मतदाता की क्रम संख्या	वर्तमान प्रविष्टि			शुद्धि के लिए प्रस्तावित प्रविष्टि			अभियुक्ति
	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता	

3. मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदन

सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	अयोग्यता, यदि कोई हो	मतदाता सूची में दिया गया क्रमांक

संबंधित समिति के सदस्य इस सूचना के संबंध में आपत्ति दायर कर सकते हैं। आपत्ति देने हेतु आपत्तिकर्ता को मतदाता सूची में दर्ज अपना नाम एवं क्रमांक का उल्लेख करना आवश्यक होगा। आपत्ति देने की अंतिम तिथि इस सूचना के प्रकाशन से 3 (तीन) दिनों की होगी।

तिथि :

स्थान :

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर